

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—खण्ड (II)  
PART II—Section 3—Sub-section (II)  
प्रधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं. 7201  
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 20, 2012/चैत्र 31, 1934

संयोजित और प्राकृतिक गैस अंतर्गत  
अधिसूचना

नं. 867(34) — केंद्रीय सरकार, तेल उद्योग (विकास)  
अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 15 की उप-धारा (1)  
द्वारा प्रेषित शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचना देने के लिए  
उक्त अधिनियम के अंतर्गत है, केंद्र सरकार के संयोजित और  
प्राकृतिक गैस संकलन की अधिसूचना संख्या सं. 251(34),  
प्रसिद्ध 28 फरवरी, 2006 को इन बातों के अंतर्गत किन्हीं रीति विधानों  
या पूर्व शिथिलताओं के अंतर्गत से रद्द किया गया है, उपरोक्त  
17 मार्च, 2012 से विद्यमान करती है।

ए. गिरीश, संयुक्त सचिव  
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION  
New Delhi, the 19th April, 2012  
S.O. 867(E).—In exercise of the powers conferred  
by sub-section (1) of Section 15 of the Oil Industry  
(Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central  
Government, on being satisfied that it is necessary in the  
public interest so to do, hereby rescinds the notification of  
the Government of India in the Ministry of Petroleum and  
Natural Gas number S.O. 253(E), dated the 28th February,  
2006, except as respect things done or omitted to be done  
before such rescission, with effect from the 17th day of  
March, 2012.

[F.No.G-32011/2002-ONG-VII]  
A. GIRISHAR, J. Secy.

अधिसूचना

नं. 868(34) — केंद्रीय सरकार, तेल उद्योग (विकास)  
अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 15 की उप-धारा (1)  
द्वारा प्रेषित शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचना देने के लिए  
उक्त अधिनियम के अंतर्गत है, केंद्र सरकार के संयोजित और  
प्राकृतिक गैस संकलन की अधिसूचना संख्या सं. 251(34),  
प्रसिद्ध 28 फरवरी, 2006 को इन बातों के अंतर्गत किन्हीं रीति विधानों  
या पूर्व शिथिलताओं के अंतर्गत से रद्द किया गया है, उपरोक्त  
17 मार्च, 2012 से विद्यमान करती है।

ए. गिरीश, संयुक्त सचिव  
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2012  
S.O. 868(E).—In exercise of the powers conferred  
by sub-section (1) of Section 15 of the Oil Industry  
(Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central  
Government hereby specifies that the rate of duty of excise  
in respect of crude oil, as here specified in the Schedule in  
the said Act shall be at the rate of four thousand five  
hundred rupees per tonne.  
2. This notification shall come into force with effect  
from the 17th day of March, 2012.

[F.No.G-32011/2002-ONG-VII]  
A. GIRISHAR, J. Secy.

अधिसूचना  
नं. 869(34) — केंद्रीय सरकार, तेल उद्योग (विकास)  
अधिनियम, 1974 (1974 का 1) की धारा 5क के अंतर्गत शक्ति  
का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचना देने के लिए उक्त अधिनियम के अंतर्गत है, केंद्र सरकार के संयोजित और प्राकृतिक गैस संकलन की अधिसूचना संख्या सं. 251(34), प्रसिद्ध 28 फरवरी, 2006 को इन बातों के अंतर्गत किन्हीं रीति विधानों या पूर्व शिथिलताओं के अंतर्गत से रद्द किया गया है, उपरोक्त 17 मार्च, 2012 से विद्यमान करती है।

[F.No.G-32011/2002-ONG-VII]  
A. GIRISHAR, J. Secy.